(174)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 836–एक/2001 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 12–2–2001 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 779/1999–2000 अपील

1– कामताप्रसाद 2– अम्बिकाप्रसाद
पुत्रगण संगमलाल सिंह
निवासी टिकुरी तहसील तथ्यौंथर जिला रीवा ---आवेदकगण

विरूद्ध

रामसिंह पुत्र राजमणि सिंह ग्राम टिकुरी
तहसील त्यौंथर जिला रीवा --अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

आ दे श

(आज दिनांक 17 – 8 –2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 779/99–2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 12–2–2001 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार वृत्त रायपुर तहसील त्यौंथर के म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 116 के अंतर्गत आवेदन

प्रस्तुत कर मांग की गई कि ग्राम खटिया की भूमि सर्वे कमांक 88 रकबा 3.96 एकड़, 91 रकबा 2.43 एकड अपीलांट की भूमि है तथा अपने पटटे की भूमि खसरा कमांक 65 रकबा 1.00 एकड़ ग्राम परसादा एंव भूमि खसरा कमांक 200 रकबा 6.59 एकड़ का जुज रकबा 5.39 एकड़ को बदले में देकर 20 साल से काविज है व कास्त करते आ रहे है किन्तु पटवारी ने खसरे के कालम नंबर 12 में कब्जा दर्ज नहीं किया इसलिये कब्जा दर्ज किया जाय। नायव तहसीलदार वृत्त रायपुर तहसील त्योंथर ने प्रकरण कमांक 163 अ-6-अ/ 1999-2000 पंजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 30-5-2000 से कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर ने प्रकरण कमांक 190 अ-6-अ/99-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-9-200 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा संभाग ने प्रकरण कमांक 779/99-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-2-2001 से अपील स्वीकार की एंव दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर दिये। अपर आयुक्त रीवा संभाग के इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदकगण ने नायव तहसीलदार वृत्त रायपुर तहसील त्योंथर के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 116 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मांग की गई है कि अनावेदक के नाम की भूमि पर वह पिछले 20 वर्ष से काविज होकर खेती कर रहे है इसलिये उनका नाम कब्जेदार के रूप में अंकित किया जाय। इस

आवेदन पर नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 163 अ-6-अ/ 1999-2000 में पारित आदेश दिनांक 30-5-2000 से कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये हैं। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 190 अ-6-अ/99-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-9-200 से अपील निरस्त की गई है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 779/99-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-2-2001 से नायव तहसीलदार एंव अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये हैं। प्रकरण विचार करना है कि क्या किसी भूमिस्वामी की भूमि पर अन्य का कब्जा दर्ज किया जा सकता है ?

म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 116 में निम्नानुसार प्रावधान है-

धारा 116 – खसरा तथा किन्हीं अन्य भू अभिलेखों में प्रविष्टि के बारे में विवाद –

> यदि कोई व्यक्ति धारा 114 के अधीन तैयार किए गए भू अभिलेखों में की, किसी ऐसी प्रविष्टि से व्यथित हो जो धारा 108 में निर्दिष्ट की गई बातों से भिन्न बातों के संबंध में की गई हों, तो वह ऐसी प्रविष्टि के दिनांक से एक वर्ष के भीतर उसके शुद्विकरण के लिये तहसीलदार को आवेदन करेगा।

म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 116 के अंतर्गत केवल अशुद्व प्रविष्टि को शुद्व किये जाने का प्रावधान है और वह भी एक वर्ष की अवधि के भीतर – जबकि आवेदकगण ने नायव तहसीलदार के समक्ष अर्सा 20 साल के पहले से चले आ कब्जे की प्रविष्टि इन्द्राज करने की मांग की है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 115, 116 के अंतर्गत कब्जे की नवीन प्रविष्टि दर्ज नहीं की जा सकती, अपितु संहिता की धारा 114 के अंतर्गत तैयार किये गये अभिलेख में यदि त्रुटिवश अशुद्व प्रविष्टि हो गई है, इन धाराओं के अधीन त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि शुद्व की जा सकती है। (शांतिदेवी विरूद्व म.प्र.राज्य 2011(III) M.P.J.R. 370 (DB) से अनुसरित) संहिता की धारा 116 के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि शुद्व कराने हेतु प्रार्थना पत्र देने के लिये प्रावधान है जिसमें त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि के एक वर्ष के भीतर पीड़ित पक्षकार को आवेदन देना होगा। इन धाराओं में नवीन आधिपत्य की प्रविष्टि किये जाने का प्रावधान नहीं है आधिपत्य की प्रविष्टि के संबंध में प्रावधान न होने से नवीन प्रविष्टि नहीं की

जा सकती। (रामचरण विरूद्ध चैनावाई 1998 रा.नि. 211 से अनुसरित) स्पष्ट है नायव तहसीलदार व्दारा प्रकरण कमांक 163 अ-6-अ/ 1999-2000 में पारित आदेश दिनांक 30-5-200 एंव अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर व्दारा प्रकरण कमांक 190 अ-6-अ/99-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-9-2000 नियम एंव प्रकिया के विरूद्ध हैं जिन्हें अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 779/99-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-2-2001 से निरस्त करने में किसी प्रकार की भूल नहीं की है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 779/99-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-2-2001 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर